"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 372] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 27 सितम्बर 2016—— आश्विन 5, शक 1938

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2016

अधिसूचना

कमांक एफ 5–7/आठ–परि./2016. —— छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (कं. 59 सन् 1988) की धारा–65, 96 तथा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और संशोधन करना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा–212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है, और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के "राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा।

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व परिवहन आयुक्त, तृतीय तल, सी–ब्लॉक, इंद्रावती भवन, नया रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हों, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा।

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में :–

1. नियम 70–क के उप–नियम (2) के खण्ड (दो) के उप–खण्ड (क) में, अंक '15' के स्थान पर, अंक '12' प्रतिस्थापित किया जाए।
2. नियम 70–क के उप–नियम (2) के खण्ड (तीन) में, अंक '15' के स्थान पर, अंक '12' प्रतिस्थापित किया जाए।
3. नियम 70–क के उप–नियम (2) के खण्ड (चार) में जहां कहीं भी अंक '15' आया हो, के स्थान पर, अंक '12' प्रतिस्थापित किया जाए।
4. नियम 70–क के उप–नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

   "(3) इस अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व जारी प्रक्रम यात्री वाहन अनुज्ञा पत्र दिनांक 01–08–2017 को 12 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके वाहनों हेतु दिनांक 01–08–2017 से तथा अन्य वाहनों हेतु 12 वर्ष पूर्ण करने की तिथि से, जब तक कि ऐसे वाहनों को इस अधिसूचना के प्रावधानों में यथा उल्लिखित समुचित आयु के वाहन से प्रतिस्थापित नहीं किया गया हो, अविधिमान्य माने जाएंगें।"

No F 5-7/आठ–परि./2016. — The following draft amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994 which the State Government in exercising the power conferred by sections 65, 96 and 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) proposes to make, is hereby published as required by Sub-Section (1) of Section 212, of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken in to consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person before the specified period, in office hours by the Transport Commissioner Office, Third Floor, Third C-Block, Indrawati Bhawan, Naya Raipur, C.G. shall be considered by the Government of Chhattishgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules :-

1. In sub-clause (a) of clause (ii) of sub-rule (2) of rule 70-A, for the figure '15' the figure '12' shall be substituted.

2. In clause (iii) of sub-rule (2) of rule 70-A, for the figure '15' the figure '12' shall be substituted.

3. In clause (iv) sub-rule (2) of rule 70-A, wherever they occurs the figure '15', the figure '12' shall be substituted.

4. For sub-rule (3) of rule 70-A, the following shall be substituted, namely:-

"(3) Stage carriage permits granted before the publication of this notification shall be deemed to be invalid from 01-08-2017 for vehicles which have completed 12 years of age before 01-08-2017 and from the date of completion of 12 years of age for other vehicles unless such vehicle has been replaced by a vehicle of proper age as mentioned in the provisions of this notification."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.